(12)

(56)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

2/निगरानी/शिवपुरी/भू-रा/2017/1870

जगदीश सिंह पुत्र रामअवतार सिंह निवासी
ग्राम कोटा तहसील व जिलाशिवपुरी
-- निगरानीकर्ता

बनाम

ओमप्रकाश पुत्र सवाई लाल निवासी ग्राम
कोटा, तहसील व जिला ~~ठठठ~~ शिवपुरी म.प्र
-- रेस्पोडेन्ट

श्री ए० के० अग्रवाल, अभि० द्वारा आज दिनांक 23-7-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट

निगरानी अधीन धारा 50 म प्र भू राजस्वसंहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 26.4.2017 पारित न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरणक्रमांक 389/15-16 अपील वुन्मान जगदीश सिंह बनाम ओमप्रकाश से व्यथित होकर।
====

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नप्रकार है:

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य-
--- ------

1- यह कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक ओमप्रकाश के द्वारा संहिता की धारा250 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम कोटा की भूमि सर्वे क 187/3, 188/1, 188/2, कुल किता -3 कुल रकबा 0.80 है. भूमि पर से अनावेदक जगदीश सिंह से आधिपत्य वापस दिलाये जाने जाने की मांग की गयी । ओमप्रकाश के सर्वे क्रमांक 187/3 मे से रकबा 0.06 हेक्टेयर भूमि शासकीय कागजात मे दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालयने अधीनिगरानीकर्ता की अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरीके

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी–1870–एक/17 जिला – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10.2017	आवेदक अधिवक्ता को सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया कि अनावेदक का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष भूमि सर्वे क. 187/3 में आवेदक द्वारा 0.06 हे. का अवैध कब्जा पाया गया है। जबकि सर्वे कमांक 187/1, 187/2 का आवेदक भूमि स्वामी है। उपरोक्त सर्वे उपकमांक सर्वे कमांक 187 से ही बने हैं। आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि कोई भी भूमि पर उसका अवैध कब्जा नहीं है। यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो वह उसे तत्काल छोड़ने को तैयार है। अनावेदक द्वारा उसकी जानकारी व उपस्थिति के बिना सीमांकन कराया है। सीमांकन के आधार पर कब्जा होना बताता है। अतः आवेदक व अनावेदक के भूमि स्वामी स्वत्व के सर्वे कमांकों पर सीमांकन उभयपक्ष की उपस्थिति में किया जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावे। निगरानी अंतर्गत आदेश का अवलोकन किया गया तथा संलग्न आदेश व प्रकरण पर विचार कर तहसीलदार शिवपुरी को आदेश दिए जाते हैं कि सर्वे उपकमांकों 187/1, 187/2, का सीमांकन 187/3 के साथ उभयपक्षों की उपस्थिति में किया जावे। सदस्य	

क. निम्न न्यायालय अधिकारीय अधिकारी शिवपुरी